(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3850-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 11-10-2012 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 201/2010-11 अपील

महेश पुत्र भगवानलाल
ग्राम खेरीकलॉ तहसील कैलारस
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती महादेवी पुत्री रामरतन पत्नि सुल्तान
ग्राम सिसोनिया तहसील गोहद, भिंड
2- श्रीमती बिन्दु पुत्री रामरतन पत्नि नरेश
3- श्रीमती रामश्री पुत्र रामरतन पत्नि सूर्यप्रकाश
ग्राम खेरीकला तहसील कैलारस हाल
ग्राम गसमानी तहसील विजयपुर जिला श्योपुर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 3-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 201/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-10-2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामरतन पुत्र भूरेलाल ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं् के नाम की मौजा खेड़ातौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 39, 42, 44 कुल किता तीन कुल रकबा 1-80 हैक्टर उसके एंव आवेदक के नाम बटवारा करने की मांग की, जिस पर तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण कमांक 15 अ-27/2005-06 पॅजीबद्व किया तथा वाद जांच आदेश दिनांक 25-2-2006 पारित करके बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 24/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-4-11 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर अयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 201/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-10-2012 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक की ओर से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आवेदक व्दारा माननीय द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सवलगढ़ के न्यायालय में स्वत्व घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कमांक 51 ए/2014 ई0दी0 दायर किया था जो आदेश दिनांक 11-11-2017 से निर्णीत हुआ है। तद्नुसार वादी (आवेदक) व्दारा प्रस्तुत व्यवहार वाद सव्यय निरस्त किया गया है अर्थात वादग्रस्त भूमि पर आवेदक अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को अनुतोष दिये जाने पर विचार करना संभव नहीं है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण में उपजी परिस्थितियों के अवलोकन से परिलक्षित है कि मौजा खेड़ातौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 39, 42, 44 कुल किता तीन कुल रकबा 1-80 हैक्टर भूमि

रामरतन पुत्र भूरेलाल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज रही है जो एकल नाम से हैं, जब इस भूमि पर शासकीय अभिलेख में आवेदक का सहभागीदार के रूप में नाम दर्ज है तब ऐसे खाते का विभाजन दो पक्षकारों के बीच संभव नहीं है । यदि रामरतन पुत्र भूरेलाल स्वयं् के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि आवेदक को देना चाह रहा था, उपचार मात्र पंजीयन के माध्यम से अंतरण है जिसके कारण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 11-10-12 में विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है कि तहसील न्यायालय व्दारा बटवारा नियमों का पालन किये वगैर मृतक के बैध उत्तराधिकारियों को उनके हक से बंचित करते हुये बटवारा आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के त्रृटिपूर्ण आदेशों को निरस्त करने वावत् लिया गया निर्णय उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 201/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-10-2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर